

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

42

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-शिवपुरी

अज 3720-116

मुन्ना पुत्र श्री बिन्दा, निवासी ग्राम छितीपुर, तहसील करैरा, शिवपुरी (म.प्र.) — आवेदक

विरुद्ध

1. राघवेन्द्रसिंह पुत्र श्री राजनसिंह
2. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजनसिंह
3. दीपेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजनसिंह
4. मु. नवलराजा वेवा राजेन्द्रसिंह,
5. बादाम पुत्र श्री गिल्ला गडरिया निवासीगण ग्राम कुचलौन, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
6. धनीराम पुत्र श्री हरगोविन्द,
7. नवल पुत्र श्री हरगोविन्द,
8. मोहन पुत्र श्री जाहरसिंह,
9. महेन्द्र पुत्र श्री जाहरसिंह, निवासीगण ग्राम छितीपुर, तहसील करैरा, शिवपुरी (म.प्र.)

— अनावेदकगण

चमरे चकुवद  
27-10-16  
प्र  
27-10-16  
राजस्व

385  
27-10-16

Dehati  
27/10/16

न्यायालय तहसीलदार करैरा, जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 19.10.2016 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत्त-2, दिनारा, जिला शिवपुरी के समक्ष भूमि खसरा क्रमांक 107/2, 110/2, 191 के सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया था।
2. यहकि, अधीनस्थ प्राधिकारी, राजस्व निरीक्षक, वृत्त-2, दिनारा, जिला शिवपुरी द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र को प्रकरण क्रमांक 22/अ-12/2015-16 पर पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा ग्राम पटवारी द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई भी अवसर प्रदान किये बिना

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-निगरानी-3720-दो / 2016

जिला-शिवपुरी

मुन्ना विरुद्ध राघवेन्द्र सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार करैरा, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 13/अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 19-10-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 09-09-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे0के0 जैन) सदस्य</p>